

**<sup>1</sup>[Rule 96B : Recovery of refund of unutilised input tax credit or integrated tax paid on export of goods where export proceeds not realised**

- (1) Where any refund of unutilised input tax credit on account of export of goods or of integrated tax paid on export of goods has been paid to an applicant but the sale proceeds in respect of such export goods have not been realised, in full or in part, in India within the period allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), including any extension of such period, the person to whom the refund has been made shall deposit the amount so refunded, to the extent of non-realisation of sale proceeds, along with applicable interest within thirty days of the expiry of the said period or, as the case may be, the extended period, failing which the amount refunded shall be recovered in accordance with the provisions of section 73 or 74 of the Act, as the case may be, as is applicable for recovery of erroneous refund, along with interest under section 50:

**Provided that** where sale proceeds, or any part thereof, in respect of such export goods are not realised by the applicant within the period allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), but the Reserve Bank of India writes off the requirement of realisation of sale proceeds on merits, the refund paid to the applicant shall not be recovered.

- (2) Where the sale proceeds are realised by the applicant, in full or part, after the amount of refund has been recovered from him under sub-rule (1) and the applicant produces evidence about such realisation within a period of three months from the date of realisation of sale proceeds, the amount so recovered shall be refunded by the proper officer, to the applicant to the extent of realisation of sale proceeds, provided the sale proceeds have been realised within such extended period as permitted by the Reserve Bank of India.]

---

<sup>1</sup> Rule 96B inserted by Noti. No. 16/2020 – Central Tax, dt. 23-03-2020 w.e.f. 23-03-2020.

**1[नियम 96ख : मालों के निर्यात पर अनुपयोजित निवेश कर प्रत्यय या समेकित कर संदाय की वापसी की वसूली जहां निर्यात की वसूली की प्रक्रिया नहीं की जाती है**

- (1) जहां मालों के निर्यात पर एकीकृत कर संदाय के लिए निवेश कर प्रत्यय उपयोग न किए गए की कोई वापसी किसी आवेदन को संदत्त की गई है किन्तु ऐसे निर्यात मालों के संबंध में विक्रय की कार्यवाही संपूर्ण रूप से या उसके भाग रूप में वसूली नहीं की गयी है, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन अनुज्ञेय अवधि के भीतर भारत में, ऐसी अवधि के किसी विस्तार को सम्मिलित करते हुए, वह व्यक्ति जिसको प्रतिदाय किया गया है ऐसे प्रतिदाय की गई रकम को जमा करेगा, विक्रय प्रक्रिया के वसूली न किए गए विस्तार तक, उक्त अवधि के समाप्ति के तीस दिनों के भीतर लागू ब्याज के साथ, यथास्थिति, विस्तारित अवधि आती है, जिसमें वह रकम का प्रतिदाय किया गया है अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के उपबंधों के अनुसार वसूली जाएगी जैसे भी स्थिति हो, धारा 50 के अधीन ब्याज सहित त्रुटिपूर्ण वापसी के लिये वसूल की जाएगी :

**परन्तु** जहां विक्रय की प्रक्रिया या उसका कोई भाग ऐसे निर्यात मालों के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन अनुज्ञेय अवधि के भीतर आवेदक द्वारा वसूली नहीं की गई है, किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक गुणागुणों पर विक्रय प्रक्रियाओं की वसूली की आवश्यकता को अपलिखित करता है, आवेदक को संदत्त वसूली की वापसी नहीं होगी।

- (2) जहां विक्रय प्रक्रिय आवेदक द्वारा वसूली की जाती है वसूली की रकम के पश्चात् संपूर्ण रूप से या उसके भाग रूप में उपनियम (1) के अधीन उससे वसूल की गयी है और आवेदक विक्रय प्रक्रिया के वसूली की तारीख से तीस महीने की अवधि के भीतर ऐसी वसूली के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करता है, ऐसी वसूली की गई रकम विक्रय प्रक्रियाओं के वसूली के विस्तार तक आवेदक को उचित अधिकारी द्वारा वापसी की जाएगी, परंतु विक्रय प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा-अनुज्ञात ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर वसूल की गयी हो।

---

1 अधिसूचना क्रमांक 16/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2020 द्वारा नियम 96ख अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.03.2020)।